095640/2022/H&FW

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2005/H/6-4/Policy **New Delhi, dated- 24.02.2022**

General Manager(s)
All Indian Railways
(Including PUs & RDSO).

Sub: Revision of rate & guidelines for reimbursement of expenses on purchase of Hearing Aids under CS(MA) Rules, 1944 and CGHS.

Ref: (i) Ministry of Health & Family Welfare's OM No. Z.11011/37/2019-EHS dated 01.12.2020. (Copy enclosed).
(ii) Railway Board's letter of even number dated 10.10.2013.

The instructions contained in Ministry of Health & Family Welfare's OM number Z.11011/37/2019-EHS dated 01.12.2020 are enclosed. The competent authority in the Ministry of Railways has decided to implement the instructions issued by Ministry of Health and Family Welfare mutatis-mutandis for Railway medical beneficiaries also with the following guidelines:-

(1) The beneficiaries covered under Railway medical attendance rules/RELHS shall be eligible to get reimbursement of purchase of hearing aids. **The procurement of hearing aid for Railway beneficiaries by railway hospitals is discontinued hence-forth.**

(2) Patients/beneficiaries should be properly referred to ENT Specialist of Railway/Government Hospital by Medical Officer.

(3) It would be mandatory to carry Railway beneficiary's identity card (in original) whenever the Railway beneficiaries visit the Railway/Government ENT specialist for consultation and audiometric test.

(4) The ENT specialist of Railway/Government hospital shall then recommend a hearing aid on basis of Audiometric and Audio-logical assessment, specifying the type of hearing aids most suited for the beneficiary. The 'Audiogram Report' shall be authenticated by the ENT specialist. The recommendation shall be as per the categories approved under CGHS and not as per any Brand name.

(5) The permission to procure hearing aids/approval for reimbursement of the cost as per C.G.H.S rate shall be granted by the CMS/MD of Divisional/Central Hospital, as the case may be, and an 'undertaking' that the beneficiary has not been reimbursed the cost of hearing aids in the preceding five years.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

24/2/22

(Dr. Praval Pant) (डा. प्रवाल पंत)
Director/Ind. Health (नि./औ.स्वा.)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)

2/-

No. 2005/H/6-4/Policy New Delhi, dated-22.02.2022

Copy to:-

1. Principal Chief Medical Director(s)/Chief Medical Officer(s) All Indian Railways (Including PUs & RDSO).
2.. Principal Financial Advisor, All Indian Railways (Including PUs & RDSO).

((Dr. Praval Pant) (डॉ. प्रवाल पंत)
Director/Ind. Health (नि./औ.स्वा.)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)

No. 2005/H/6-4/Policy New Delhi, dated- .02.2022

1. Principal Director of Audit of All Indian Railways (Including Pus & RDSO).
2. Comptroller & Auditor General of India (Railways) Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

For Member Finance/Railways

No. 2005/H/6-4/Policy New Delhi, dated- 22.02.2022

Copy to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan New Delhi.
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8 Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
12. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

For Secretary, Railway Board

Copy to:- F(E) Special Branch of Railway Board, New Delhi.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2005/एच/6-4/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक: 22.02.2022

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
(उत्पादन इकाइयों और आरडीएसओ सहित)

विषय: सीएस (एमए) नियम,1944 और सीजीएचएस के तहत श्रवण यंत्रों की खरीद की दर में संशोधन तथा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए दिशानिर्देश

संदर्भ: i) दिनांक 01.12.2020 का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का का.ज्ञा. सं.जेड.11011/37/2019-ईएचएस। (प्रति संलग्न)

ii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 10.10.2013 का समसंख्यक पत्र

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के का.ज्ञा. सं. जेड.11011/37/2019-ईएचएस में निहित अनुदेश संलग्न है। रेल मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए अनुदेश निम्नलिखित दिशानिर्देशों के साथ रेलवे चिकित्सा लाभार्थियों के लिए भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू किए जाएं:-

(1) रेलवे चिकित्सा परिचर्या नियम/आरईएलएचएस के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी श्रवण यंत्र की खरीद की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। अतः रेलवे अस्पतालों द्वारा रेलवे लाभार्थियों के लिए श्रवण यंत्र की खरीद बंद कर दी गई है।

(2) चिकित्सा अधिकारी द्वारा रोगियों / लाभार्थियों को रेलवे/ सरकारी अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञ को उचित रूप से रैफर किया जाए।

(3) जब भी रेलवे लाभार्थी रेलवे/सरकारी ईएनटी विशेषज्ञ के पास परामर्श और ऑडियोमेट्रिक टेस्ट के लिए जाएगा तो लाभार्थी को पहचान पत्र (मूल रूप में) ले जाना अनिवार्य होगा।

(4) रेलवे/ सरकारी अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा ऑडियोमेट्रिक और ऑडियो लॉजिकल मूल्यांकन के आधार पर लाभार्थी के लिए सबसे उपयुक्त श्रवण यंत्र के प्रकार को निर्दिष्ट करते हुए श्रवण यंत्र की सिफारिश करेगा। ऑडियोग्राम रिपोर्ट को ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। सिफारिश सीजीएचएस के तहत अनुमोदित कोटियों के अनुसार होगी न कि किसी ब्रांड के नाम के अनुसार।

(5) श्रवण यंत्र की खरीद की अनुमति/सीजीएचएस दर के अनुसार लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुमोदन मंडलीय/ केंद्रीय अस्पताल के सीएमएस/एमडी द्वारा प्रदान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और एक 'वचनबद्धता' दी जाएगी कि लाभार्थी को पिछले पांच वर्षों में श्रवण यंत्र की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाए।

Yaim 4d

डॉ. प्रवाल पंत
निदेशक/औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2005/एच/6-4/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 22.02.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें (उत्पादन इकाइयां एवं आरडीएसओ सहित)।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें (उत्पादन इकाइयां एवं आरडीएसओ सहित)।

डॉ. प्रवाल पंत
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2005/एच/6-4/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 22.02.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें (उत्पादन इकाइयां एवं आरडीएसओ सहित)।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड

सं.2005/एच/6-4/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक: 22.02.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद और विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ और इरपोफ, कमरा नं. 256-ए और 268, रेलवे बोर्ड।
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी कल्याण संघ (पंजीकृत), 409A/16, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: एफ (ई) विशेष शाखा रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।